अपील(सू.का.अ)संख्या 22/2025 बउनवानी गोपाल लाल **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर,स0मा

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

जाति मिश्रा निवासी रामसिंहपुरा पोस्ट शेरपुर खिलचीपुर

GCMS No-2025/93

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.4.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.1.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *पत्र क्रमांक 12/1/चूना भटटा/राजस्व/94/5844 दिनांक 18.9.2024 पर की गयी कार्यवाही की सूचना मय सत्यप्रतिलिपि सहित कुल 3 बिन्दुओ की सूचना*" अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:एफ.13(2)(07)/सूकाअ/2025/394 दिनांक 15.4.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.1.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 46 दिनांक 20.01.2025 द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3)के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया गया था। उक्त संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 17 दिनांक 24.2.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था कि बिन्दु संख्या 1 2 की सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे संघारित नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना के कम्र में अपीलान्ट को ख0न0 892 898,904,913, की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.1.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3 मे चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय है जिसमे से तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है तथा 1 व 2 की सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय मे संघारित नही होने के कारण उक्त बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:09 IST
Reason: SelfAttested